प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –301/2023

अनवान : –

1. गुरूपाल सिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. मोहरसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सुनीता पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र अधिवक्ता **वादी**

निर्णय दिनांकः 15/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 49/49 की कुल 6.0720 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 266/219 की कुल 4.5540 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीया संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 हक हिस्सा है।

प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादी की बहिने है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 2 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग मुताबिक समझोता रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 49/49 के कुल खसरे 26 की कुल तादादी 6.0720 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है तथा रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 266/219 के कुल खसरे 18 का कुल क्षेत्रफल 4.5540 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:37 IST
Reason: SelfAttested

काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 व 2 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जवाब इकबाल पेश किया गया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 व 2 द्वारा आपसी राजीनामा/ईकबाल मजमें आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 व 2 द्वारा इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 49/49 की कुल 6.0720 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा व रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 266/219 की कुल 4.5540 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 व 2 द्वारा जवाब इकबाल पेश किया गया है की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 व 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 49/49 की कुल 6.0720 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या [illegible] कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 266/219 की कुल 4.5540 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमीत जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 15/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–गुडिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –301/2023

अनवान : –

1. गुरूपाल सिंह पुत्र मोहरसिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. मोहरसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. सुनीता पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 301 सन 2023

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 49/49 की कुल 6.0720 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 266/219 की कुल 4.5540 है0 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–गुडिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:37 IST
Reason: SelfAttested